



आवंटन

पत्रांक :- प्रो0डे0को0-10/09..... दिनांक

प्रेषक,

उदयन मिश्रा,भा.प्र.से.
निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय :- वैशाली महोत्सव, 2022 के आयोजन अवसर पर बनाये गये अस्थायी मंच निर्माण कार्य के संपादन पर हुये व्यय हेतु राशि 6,55,954/- (छः लाख पचपन हजार नौ सौ चौवन रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

1. इस राशि का विकलन मुख्यशीर्ष-3452 पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष-80 सामान्य, लघु शीर्ष 001, निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष 0001-निदेशालय, विपत्र कोड संख्या-46-3452800010001 के अंतर्गत प्राथमिक ईकाई संख्या-0001.20.02 कॉन्फ्रेंस कार्यशाला सेमिनार मद में उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 के उपबंधित आवंटन से किया जायेगा।
2. किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
3. वैशाली महोत्सव, 2022 के आयोजन अवसर पर बनाये गये अस्थायी मंच निर्माण कार्य के संपादन पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No.- 13266/2025 (रामशंकर प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार) में दिनांक 04.02.2026 को पारित आदेश के अनुपालन के आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-71/जि०नजा०, दिनांक-27.02.2026 के माँग के आलोक में 6,55,954/- (छः लाख पचपन हजार नौ सौ चौवन रुपये) का अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त राशि की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर ली जाय।
4. आयोजन से संबंधित हाई रिजोलूशन फोटोग्राफ, कार्यक्रम की वीडियोग्राफी हार्ड तथा सॉफ्ट कॉपी में अविलंब उपलब्ध कराया जाय, ताकि विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जा सके।

ह०/-

निदेशक, पर्यटन

ज्ञापांक :- प्रो0डे0को0-10/09..... 82 दिनांक 16/03/2026

- प्रतिलिपि :-
1. जिला पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा-शाखा, पर्यटन निदेशालय, निदेश दिया जाता है कि CFMS प्रणाली के माध्यम से आवंटन उपलब्ध कराया जाय/आई.टी.मैनेजर, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, पर्यटन